हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड Hindustan Copper Limited
(निबंधित कार्यालय Regd. Office: "ताम्र भवन Tamra Bhavan',
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यु, Ashutosh Chowdhury Avenue, कोलकाता Kolkata -700 019)
Investor_cs@hindustancopper.com, www.hindustancopper.com
CIN: L27201WB1967GOI028825

डाक मतपत्र की सूचना

इसके द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ("कंपनी/एचसीएल") के सदस्यों को धारा 108, 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम, 2014 ("नियम"), के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियम, 2015 (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियमन 44 ("सेबी सूचीकरण विनियम"), भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान की सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('SS-2') और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या समय-समय पर लागू होने वाले और समय-समय पर संशोधन सहित) के रूप में जारी किए गए परिपत्र और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार जो संकल्पें नीचे निर्धारित किये गये हैं, को रिमोट ई-वोटिंग ("ई-वोटिंग") के माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 36 और अधिनियम के एसएस-2 के साथ पठित धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तावित संकल्पों के सभी भौतिक तथ्यों और कारणों को निर्धारित करता है और इस नोटिस का हिस्सा है।

मेसर्स एन. के. एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव के श्री नवीन कोठारी, (सदस्यता संख्या एफसीएस 5935 और सीपी संख्या 3725) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग पोस्टल बैलट की जांच के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी के सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('NSDL') को नियुक्त किया गया है।

लागू नियामक आवश्यकताओं की पुष्टि के साथ, सदस्य केवल ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान कर सकते हैं, जिसके लिए उनसे इस नोटिस की टिप्पणियों में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

विशेष व्यवसाय:

मद संख्या 1: कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में श्री घनश्याम शर्मा (DIN 07090008) की नियुक्ति।

साधारण संकल्प के रुप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

'संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित या तत्समय लागू सहित) के अनुसार श्री घनश्याम शर्मा (DIN 07090008) को दिनांक 13.9.2021 (अपराह्न) से खान मंत्रालय के आदेश संख्या 10/2/2017-मेट.III दिनांक 10.09.2021 के साथ पठित शुद्धिपत्र संख्या 10/2/2017-Met.III दिनांक 14.9.2021, आदेश संख्या 1O/2/2O17-Met.III दिनांक 1.4.2022 और आदेश संख्या 10/2/2017-Met.III (FTS: 3048658) दिनांक 26.4.2022 के अधीन ऐसे नियमों और शर्तों पर जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जा सकते हैं, के अनुसार कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में उनके पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने पर (मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के अलावा) की नियुक्ति और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 2: कंपनी के निदेशक (खनन) के रूप में श्री संजीव कुमार सिंह (DIN 09548389) की नियुक्ति।

साधारण संकल्प के रुप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

'संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित या तत्समय लागू सहित), के अनुसार श्री संजीव कुमार सिंह (DIN 09548389) को दिनांक 26.03.2022 (पूर्वाह्न) से खान मंत्रालय के आदेश संख्या मेट.3-10/1/2020-मेटल III दिनांक 22.03.2022 के साथ पठित पत्र फाइल संख्या Met. 3-10/1/2020-मेट- III (FTS: 3058956) दिनांक 06.04.2022 के ऐसे नियमों और शर्तों पर जो भारत सरकार द्वारा समय पर या उसके पहले अधिसूचित किए जा सकते हैं, के अनुसार कंपनी के निदेशक (खनन) के रूप में नियुक्ति और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 3: कंपनी के अंशकालिक गैर-कार्यालयीन (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्री अन्नादेवरा गुरुनाधा कृष्ण प्रसाद (DIN 02557375) की नियुक्ति।

विशेष संकल्प के रुप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

'संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित या तत्समय लागू सहित), के अनुसार श्री अन्नादेवरा गुरुनाधा कृष्ण प्रसाद (DIN 02557375) को दिनांक 03.11.2021 के प्रभाव से खान मंत्रालय के आदेश संख्या मेट.3-10/2/2020-मेटल III दिनांक 03.11.2021 के अनुसार कंपनी के अंशकालिक गैर-कार्यालयीन (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 4: कंपनी के अंशकालिक गैर-कार्यालयीन (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्री अविनाश जनार्दन भिडे (DIN 09388571) की नियुक्ति।

विशेष संकल्प के रुप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

'संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित या तत्समय लागू सहित), के अनुसार श्री अविनाश जनार्दन भिडे (DIN 09388571) को दिनांक 03.11.2021 के प्रभाव से खान मंत्रालय के आदेश संख्या मेट.3-10/2/2020-मेटल III दिनांक 03.11.2021 के अनुसार कंपनी के अंशकालिक गैर-कार्यालयीन (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 5: कंपनी के अंशकालिक गैर-कार्यालयीन (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्रीमती हेमलता वर्मा (DIN 09549304) की नियुक्ति।

विशेष संकल्प के रुप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

'संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित या तत्समय लागू सहित), के अनुसार श्रीमती हेमलता वर्मा (DIN 09549304) को दिनांक 22.03.2022 के प्रभाव से खान मंत्रालय के आदेश संख्या मेट.3-10/2/2020-मेट.

III दिनांक 22.03.2022 के अनुसार कंपनी के अंशकालिक गैर-कार्यालयीन (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

बोर्ड के आदेशानुसार
ह0/-
(सी.एस.सिंघी)
कार्यकारी निदेशक(कंपनी सचिव)
(FCS No: 2570)

दिनांक: 11-05-2022
स्थान: कोलकाता

टिप्पणी:

(i) MCA परिपत्र के अनुसार, यह पोस्टल बैलेट नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में शुक्रवार, दिनांक 6 मई, 2022 ('कट-ऑफ तिथि') के अनुसार हैं') और जिनके ई-मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं या जो इस नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत करेंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 6 मई, 2022 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

(ii) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही अपना वोट डाल सकेंगे और प्रस्तावित संकल्प पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर सकेंगे। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं, उन्हें केवल ई-वोटिंग के लिए पात्र माना जाएगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के बाद सदस्य बन जाता है, उसे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझना चाहिए।

(iii) सदस्य ध्यान दें कि इस पोस्टल बैलेट नोटिस की प्रति कंपनी की वेबसाइट www. hindustancopper.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटें जहां कंपनी के इक्विटी शेयर

सूचीबद्ध हैं, अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

(iv) जिन सदस्यों का ईमेल पता पंजीकृत नहीं है, उनसे कंपनी की वेबसाइट www.hindustancopper.com पर उपलब्ध 'ईमेल पंजीकरण फॉर्म' में भरकर कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स सी बी मैनेजमेंट सर्विसेज (पी) लिमिटेड, ("RTA") P-22, बंडेल रोड, कोलकाता -700019 के ई-मेल पते rta@cbmst.com के पास सबमिट कर अपना ईमेल पंजीकृत/अपडेट कराने हेतु अनुरोध है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें।

(v) नियमों के नियम 20 और 72 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और 110, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, SS-2 और MCA परिपत्र के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए सक्षम बनाया जा सके। इस नोटिस में रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

(vi) रिमोट ई-वोटिंग 17 मई, 2022 मंगलवार को प्रात: 9:00 बजे से शुरू होगी और 15 जून, 2022 बुधवार को शाम 5:00 बजे समाप्त हो जायेगा। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य जो कट-ऑफ डेट को इलेक्ट्रॉनिक रुप या भौतिक रुप में शेयर धारण करते हैं, अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रुप से दे सकते हैं। इसके पश्चात NSDL द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडुल को अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

(vii) संस्थागत/ निगमित शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक/अविभाजित हिन्दु परिवार/गैर प्रवासी भारतीय आदि के अलावा) को अपने बोर्ड या गवर्निंग बॉडी के संकल्प/प्राधिकरण पत्र इत्यादि की स्कैन कॉपी (PDFI JPG फॉर्मेट), जो विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं), जो स्क्रूटिनाइजर के ईमेल kotharinavin@yahoo.com पते पर वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के प्रमाणित हस्ताक्षर नमूना के साथ प्राधिकरण पत्र आदि, भेजने की आवश्यकता है तथा साथ में evoting@nsdl.co.in और cs@hindustancopper.com. पर भी निवेशक की चिन्हित प्रति साथ में रहे।

(viii) संवीक्षक शुक्रवार, 17 जून, 2022 को या उससे पहले डाक मतपत्र के परिणाम पर डाले गए मतों की जांच के बाद अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। डाले गए मतों की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा ।

(ix) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को कंपनी की वेबसाइट www.hindustancopper.com पर और NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर परिणाम

घोषित होने के तुरंत बाद रखा जाएगा। कंपनी एक साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और BSE लिमिटेड को परिणाम अग्रेषित करेगी। परिणाम कंपनी के नोटिस बोर्ड पर अपने पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

(x) संकल्प, यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है, तो ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि बुधवार 15 जून 2022 को पास माना जाएगा।

(xi) इस पोस्टल बैलट नोटिस और व्याख्यात्मक टिप्पणी में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ई-वोटिंग बंद होने की तारीख तक सदस्यों के इलेक्ट्रॉनिक रुप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य ईमेल investers cs@hindustancopper.com or rta@cbmsl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया नीचे दी गई है: -

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9.12.2020 की शर्तों के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने की सलाह दी जाती है। डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

ए) **NSDL पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत सदस्य**

1. मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर NSDL की ई-सेवा वेबसाइट यथा https://eservices.nsdl.com पर जाएं। ई-सर्विसेज होम पेज पर "लॉगिन" के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAS' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर ID और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "Access to e- Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए NSDL की ईवोटिंग वेबसाइट पर ले जाएगा।

2. यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है, "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp. पर क्लिक करें।
3. NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउजर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर खोलें: https://www.evoting.nsdt.com । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना User ID (अर्थात NSDL के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), Password/OTP और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको NSDL डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।

बी) **NSDL पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत सदस्य**

1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi / Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने user id और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के e'Voting पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें।
2. Easi/Easiest के सफल login के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए NSDL पर क्लिक करें।
3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है।

4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर OTP भेजकर user को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, user को संबंधित ESP यानी NSDL के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।

सी) व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से login करें।

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए NSDL/CDSL के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के login credentials का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको NSDL/CDSL डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी : जो सदस्य यूजर ID /पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget यूजर ID और Forget पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी NSDL और CDSL के माध्यम से Login से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए Helpdesk, लॉग इन करें।

Login का प्रकार	Helpdesk का विवरण
NSDL के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करनेवाले व्यक्तिगत सदस्य	Login में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करनेवाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर NSDL Helpdesk से संपर्क कर सकते हैं अथवा टॉलफ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें।
CDSL के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करनेवाले व्यक्तिगत सदस्य	Login में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करनेवाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर CDSL Helpdesk से संपर्क कर सकते हैं अथवा टॉलफ्री नं. 022- 23058738 अथवा 022-23058542-43 पर कॉल करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले सदस्यों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि

NSDL ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. NSDL के ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कम्प्यूटर अथवा मोबाइल पर URL https://www.evoting.nsdl.com को टंकित कर वेब ब्राउजर को खोलें।
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर ID, अपना पासवर्ड/ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   विकल्पत: यदि आप NSDL eservices यानी IDEAS पर पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद NSDL ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए।
4. आपका उपयोगकर्ता ID विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर किस रुप में धारित है यथा- डिमेट (NSDL या CDSL) या भौतिक	आपका यूजर ID है:
a) सदस्य जो NSDL के पास डिमेट एकाउन्ट में शेयर रखे हैं, के लिए	DP ID का 8 अक्षर उसके पश्चात 8 अंक क्लाइंट ID । नमूनास्वरूप यदि आपका DP ID IN300*** है और क्लाइंट ID 12****** है तो आपका यूजर ID होगा IN300***12******
b) सदस्य जो CDSL के पास डिमेट एकाउन्ट में शेयर रखे हैं, के लिए;	16 अंकों का बेनिफीसियरी ID नमूना स्वरूप यदि आपका बेनिफीसियरी ID 12 ********** है तो आपका यूजर ID 12 ********** है।
b) भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्य के लिए;	कंपनी के साथ निबंधित फोलियो नम्बर उसके पश्चात EVEN नम्बर । नमूनास्वरूप यदि आपका फोलियो नम्बर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर ID है 101456001***

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावे अन्य शेयरधारकों के पासवर्ड का विवरण निम्न प्रकार है:-

a) यदि आप पहले से ही इ-वोटिंग के लिए निबंधित हैं तो आप अपना विद्यमान लॉग-इन के लिए पासवर्ड का उपयोग करें और अपना वोट डालें ।

b) यदि आप पहली बार NSDL इ-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको ' प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

c) **अपना ' प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें .**

i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपके ई-मेल आईडी पर आपका ' प्रारंभिक पासवर्ड' भेज दिया जाता है। NSDL की ओर से भेजे गए ई-मेल को अपने ई-मेल बॉक्स में खोजें। ई-मेल को खोलें और अटैचमेंट, यथा- पीडीएफ फाइल को खोलें। पीडीएफ फाइल को खोलने का पासवर्ड NSDL एकाउन्ट्स के लिए आपका 8 अंकों का क्लाइंट आईडी है, जबकि CDSL एकाउन्ट्स के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपका 'यूजर आईडी' और आपका ' प्रारंभिक पासवर्ड' रहता है।

ii) यदि आपका ई-मेल ID दर्ज नहीं है तो कृपया ई-मेल ID दर्ज कराने के लिए निम्नांकित प्रक्रियाओं का पालन करें।

6. यदि आप ' प्रारंभिक पासवर्ड' खोजने में असमर्थ हैं या प्राप्त नहीं किये हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

a) **"Forget User Details/Password** ?" पर क्लिक करें (यदि आप NSDL अथवा CDSL के पास अपने डिमैट खाते में शेयर धारण करते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध है।

b) **"Physical User Reset Password?"** (यदि आप भौतिक रुप से शेयर धारण करते हैं) तो विकल्प www.evoting.nsdl.com . पर उपलब्ध है।

c) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के बावजूद यदि आप पासवर्ड पाने में असमर्थ रहें तो आप डिमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, PAN, अपना नाम और पंजीकृत पता का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

d) सदस्य वोट डालने के लिए NSDL की ई-वोटिंग प्रणाली पर OTP (एक बार पासवर्ड) आधारित लॉग-इन पासवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं।

7. पासवर्ड दर्ज करने के पश्चात चेक बॉक्स-1 का चयन करके "नियम और शर्तें" के लिए सहमति पर क्लिक करें।

8. अब, आपको लॉग-इन बटन पर क्लिक करना होगा।

9. लॉग-इन बटन पर क्लिक करने के पश्चात ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुल जायेगा।

NSDL ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रुप से आप अपना वोट कैसे डालें?

i. स्टेप 1 पर सफल लॉग-इन के बाद, आप सभी कंपनियों के "EVEN" देख पायेंगे, जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और उसका वोटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में है।
ii. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के "EVEN" का चयन करें जो 119792 है।
iii. चूँकि वोटिंग पृष्ठ खुल गया है, अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
iv. उपयुक्त विकल्प यानी, सहमति या असंतोष, शेयरों की संख्या, जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं, को सत्यापित/संशोधित कर "सबमिट" को क्लिक करके अपना वोट डालें और संकेत दिए जाने पर "पुष्टि" पर भी क्लिक करें।
v. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक वोट कास्ट" का संदेश प्रदर्शित होगा।
vi. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गये वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
vii. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन सदस्यों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल ID उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकृत नहीं है और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों हेतु ई-वोटिंग के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया

i. वे सदस्य, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, सदस्य RTA के ईमेल पते rta@cbmsl.com पर और कंपनी के investers_cs@hindustancopper.com. पर निम्नलिखित भेजकर अपना लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं; (क) सदस्य के नाम, फोलियो नंबर और पूरा पता का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की हुई प्रति, (ख) शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), (ग) कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति।

ii. यदि शेयरों को डीमैट मोड में रखें हैं, तो सदस्य निम्नलिखित की स्कैन प्रति RTA के ई-मेल पता rta@cbmsl.com पर और कंपनी के investors_cs@hindustancopper.com. पर भेजकर अपना लॉग-इन ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:-

(क) सदस्य के नाम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी (16 अंकों का डीपी आई.डी + क्लाइंट ID अथवा 16 अंकों का बेनीफिसियरी ID) का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र;

(ख) स्व-सत्यापित ग्राहक मास्टर या समेकित डीमैट खाता विवरण की स्कैन प्रति; और

(ग) पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति

iii. विकल्पत: सदस्य evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल अनुरोध भेजकर भी बिन्दु (i) अथवा (ii), जो भी स्थिति रहे, में वर्णित विवरण को उपलब्ध कराकर अपना यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

अंशधारकों के लिए सामान्य सूचना

1.यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग के लिए वेबसाइट पर लॉगिन हेतु कीबोर्ड पर सही पासवर्ड डालने में पांच बार असफल प्रयास होने पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको " फॉरगेट उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" विकल्प के माध्यम से जाने की आवश्यकता होगी जो https://www.evoting.nsdl.com/to पर रिसेट पासवर्ड उपलब्ध है।

2. रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल जो NSDL's की ई-वोटिंग वेबसाइट के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है, देख सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, AVP / सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, NSDL, ट्रेड वर्ल्ड, "ए"विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई में 400 013 से टॉलफ्री नं;- 11800 1020 990 / 1800 22 44 30 पर कॉल करें या ई-मेल आईडी पर: evoting@nsdl.co.in लिख सकते हैं। CDSL के साथ डीमैट मोड में शेयर रखने वाले एवं लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य htpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर CDSL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या O22- 23058738 अथवा 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद - 1

खान मंत्रालय के आदेश संख्या 10/2/2017-मेट III दिनांक 10.9.2021 जो शुद्धिपत्र संख्या 10/2/2017-Met.III दिनांक 14.9.2021, आदेश संख्या 10/2/2017-Met.III दिनांक 1.4.2022 और आदेश संख्या 10/2/2017-Met.III (FTS: 3048658) दिनांक 26.4। 2022 के साथ पठित है के अनुसार श्री घनश्याम शर्मा ने [खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के अलावा] 13.9.2021 से 12.9.2022 तक

प्रभावी या जब तक कोई नियमित पदधारी पद ग्रहण नहीं करता है या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए निदेशक (वित्त), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल / कंपनी) के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 विनियमों (सेबी लिस्टिंग विनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से संकल्प पारित करके कंपनी के सदस्यों की उनकी नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

दिनांक 17.05.1965 को जन्मे, श्री घनश्याम शर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनके पास वित्त, इंजीनियरिंग, दूरसंचार, बिजली, परामर्श, निर्माण, कागज और अन्वेषण आदि के क्षेत्र में लगे विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के ऑडिट और कामकाज में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। टेलीकॉम कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। उन्हें बिजली, दूरसंचार, अन्वेषण परियोजनाओं के प्रबंधन और पीएमसी सेवाएं प्रदान करने का व्यापक अनुभव है। आठ हजार करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं और चार सौ पचास करोड़ रुपये की फीडर रिप्लेसमेंट परियोजना के क्रियान्वयन में शामिल थे। इसके अलावा, श्री शर्मा को परियोजनाओं के वित्तपोषण अर्थात बांड जारी करके, बैंक से सावधि ऋण, नकद ऋण आदि के माध्यम से धन जुटाना और आपूर्तिकर्ता ऋण आदि के क्षेत्र में एक्सपोजर मिला है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष कार्यभार के अलावा सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान जैसे भारत और विदेशों में व्यापक रूप से यात्रा की और सेवा की है। श्री शर्मा दिनांक 27.02.2018 से खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं। इससे पहले, वह हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में निदेशक (वित्त) थे।

श्री घनश्याम शर्मा को न तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया है और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी आदेश के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त होने से वंचित किया गया है। कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) श्री शर्मा से संबंधित नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सहित उनके पास अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों का निदेशकत्व और सदस्यता नहीं है। वे अपने नाम पर या कंपनी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कोई शेयर नहीं रखे हैं।

उन्होंने कंपनी के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण करने के बाद हुई सभी छह बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

श्री शर्मा के पास निदेशक की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक अपेक्षित कौशल और क्षमताएं हैं और बोर्ड का मानना है कि उनके निरंतर सहयोग से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में उनकी नियुक्ति के संबंध में साधारण संकल्प की सिफारिश सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए की जाती है।

श्री शर्मा को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक या केएमपी या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 1 में निर्धारित संकल्प से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या-2

श्री संजीव कुमार सिंह खान मंत्रालय के आदेश क्रमांक मेट. 3-10/1/2020-धातु III दिनांक 22.3.2022, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिवर्षिता की तिथि तक अर्थात 30.06.2026 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के अनुसार वेतनमान रु.1,80,000-3,40,000/- में दिनांक 26.03.2022 को कंपनी के निदेशक (खनन) के रूप में पदभार ग्रहण किये हैं। अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके कंपनी के सदस्यों की उनकी नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

दिनांक 05.06.1966 को जन्मे श्री संजीव कुमार सिंह इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से ओपन कास्ट माइनिंग में बी.टेक और एम.टेक हैं और BIC मेसरा, रांची से एमबीए (फाइनेंस) हैं। श्री सिंह ने वर्ष 1987 में CMPDIL में कनिष्ठ कार्यपालक अभियंता के रूप में अपना करियर शुरू किया और उसके बाद उन्होंने CMPDIL और बाद में NTPC लिमिटेड में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। श्री सिंह को खदान योजना और डिजाइन, MDO दस्तावेज तैयार करने, वैधानिक मंजूरी, निविदाओं का मूल्यांकन और परियोजनाओं के वित्तीय मूल्यांकन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में 34 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव प्राप्त है। एचसीएल में शामिल होने से पहले, श्री सिंह NTPC लिमिटेड में महाप्रबंधक (कोयला खनन) थे। श्री सिंह ने NTPC के लिए कोयला ब्लॉकों के अधिग्रहण के संबंध में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। वे ऑस्ट्रेलिया में 7 से 12 फरवरी, 2016 के दौरान आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा वार्ता के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा रहे हैं।

श्री संजीव कुमार सिंह को न तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया है और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी आदेश के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त होने से वंचित किया गया है। कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) श्री सिंह से संबंधित नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सहित उनके पास अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों का निदेशकत्व और सदस्यता नहीं है। कंपनी में उनके नाम पर 100 इक्विटी शेयर हैं। हालांकि वे कंपनी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कोई शेयर नहीं रखे हैं।

उन्होंने एक बोर्ड बैठक में भाग लिया जो कंपनी में निदेशक (खनन) के रूप में शामिल होने के बाद ही आयोजित की गई थी।

श्री सिंह के पास निदेशक की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक अपेक्षित कौशल और क्षमताएं हैं और बोर्ड का मानना है कि उनके निरंतर सहयोग से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और कंपनी के निदेशक (खनन) के रूप में उनकी नियुक्ति के संबंध में साधारण संकल्प की सिफारिश सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए की जाती है।

श्री सिंह को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक या केएमपी या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 1 में निर्धारित संकल्प से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या - 3

श्री अन्नदेवरा गुरुनाधा कृष्ण प्रसाद को खान मंत्रालय के आदेश संख्या मेट.3-10/2/2020-मेट.III दिनांक 3.11.2021 के अनुसार दिनांक 03.11.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से संकल्प पारित करके कंपनी के सदस्यों की उनकी नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

दिनांक 23.06.1976 को जन्मे, श्री अन्नदेवरा गुरुनाधा कृष्ण प्रसाद नागार्जुन विश्वविद्यालय से बी.कॉम और चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए फाइनल परीक्षा में अखिल भारतीय 13वीं रैंक) हैं। वे चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें सांविधिक लेखा परीक्षा, प्रबंधन और संचालन लेखा परीक्षा, कराधान, आदि का 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

श्री प्रसाद न तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी भी आदेश के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त होने से वंचित हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) श्री प्रसाद से संबंधित नहीं है। उन्होंने बोर्ड के समक्ष घोषणा प्रस्तुत की है कि वह अधिनियम की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149(6) और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 16(1)(बी) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सहित उनके पास अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों का निदेशकत्व और सदस्यता नहीं है। वह अपने नाम पर या कंपनी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कोई शेयर नहीं रखता है।

उन्होंने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के पश्चात हुई पांच में से तीन बोर्ड बैठकों में भाग लिया।

श्री प्रसाद के पास निदेशक की भूमिका निभाने के लिए अपेक्षित कौशल और क्षमताएं हैं। श्री प्रसाद अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए अधिनियम और सेबी सूचीकरण विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं। श्री प्रसाद को बोर्ड और उसकी उप-समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसी बैठक शुल्क और वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड समय-समय पर अनुमोदित करे। बोर्ड का मानना है कि उनके निरंतर सहयोग से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के संबंध में विशेष संकल्प की सिफारिश की जाती है।

श्री प्रसाद को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक या केएमपी या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 3 में निर्धारित संकल्प से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या-4

श्री अविनाश जनार्दन भिडे को खान मंत्रालय के आदेश क्रमांक मेट. 3-10/2/2020-मेट.III दिनांक 03.11.2021 के अनुसार दिनांक 03.11.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से संकल्प पारित करके कंपनी के सदस्यों की उनकी नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

दिनांक 21.04.1960 को जन्मे श्री अविनाश जनार्दन भिडे बीएससी (माइक्रोबायोलॉजी) और एलएलबी हैं। वह पेशे से अधिवक्ता हैं और उन्हें 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनके प्रैक्टिश के प्राथमिक क्षेत्र में आपराधिक कानून शामिल हैं और विशेषज्ञता के क्षेत्र में भ्रष्टाचार विरोधी कानून, पूर्व-गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994, चिकित्सा लापरवाही कानून, उपभोक्ता मामले और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम, 1999 महाराष्ट्र के तहत मामले शामिल हैं। वे नियमित रूप से आपराधिक कानूनों पर व्याख्यान की श्रृंखला आयोजित करते हैं। श्री भिडे ने 2019 में "क्रिमिनल ट्रायल के लिए व्यावहारिक संकेत" और 2020 में "सुखंता जीवनचा" नामक पुस्तक लिखी और प्रकाशित की। श्री भिडे 2010-19 और 2019-24 तक महाराष्ट्र और गोवा के बार काउंसिल के सदस्य रहे और 2015 और 2019 में अध्यक्ष चुने गए। वर्तमान में, वे सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी, नासिक के उपाध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

श्री भिडे न तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी आदेश के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त होने से वंचित हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) श्री भिडे से संबंधित नहीं है। उन्होंने बोर्ड को एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वह अधिनियम की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149(6) और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 16(1)(बी) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सहित उनके पास अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों का निदेशकत्व और सदस्यता नहीं है। वह अपने नाम पर या कंपनी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कोई शेयर नहीं रखा है।

उन्होंने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद हुई सभी पांच बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

श्री भिडे के पास निदेशक की भूमिका निभाने के लिए अपेक्षित कौशल और क्षमताएं हैं। श्री भिडे अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए अधिनियम और सेबी सूचीकरण विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं। श्री भिडे को बोर्ड और उसकी उप-समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसी बैठक शुल्क और वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा जैसा कि बोर्ड समय-समय पर अनुमोदित कर सकता है। बोर्ड का मानना है कि उनके निरंतर सहयोग से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के संबंध में विशेष संकल्प की सिफारिश की जाती है।

श्री भिडे को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक या केएमपी या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 4 में निर्धारित संकल्प से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 5

श्रीमती हेमलता वर्मा को खान मंत्रालय के आदेश क्रमांक मेट.3-10/2/2020 मेट.III दिनांक 22.03.2022 के अनुसार 22.03.2022 के प्रभाव से तीन साल की अवधि के लिए कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से संकल्प पारित करके उनकी नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

दिनांक 12.2.1970 को जन्मी श्रीमती हेमलता वर्मा बीए (ऑनर्स) और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह सामाजिक जीवन के उत्थान और सुधार में सक्रिय रूप से शामिल है। वह भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल से भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद, बिहार में महिला मोर्चा सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में, वह बिहार में राज्य कार्यकारी समिति की सदस्या हैं।

श्रीमती वर्मा को न तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया है और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी आदेश के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त होने से वंचित किया गया है। कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) श्रीमती वर्मा से संबंधित नहीं है। उसने बोर्ड को एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वह अधिनियम की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149(6) और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16(1)(बी) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सहित उनके पास अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों का निदेशकत्व और सदस्यता नहीं है। वह अपने नाम पर या कंपनी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कोई शेयर नहीं रखी है।

उन्होंने एक बोर्ड बैठक में भाग लिया जो कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद ही आयोजित की गई थी।

श्रीमती वर्मा के पास निदेशक की भूमिका निभाने के लिए अपेक्षित कौशल और क्षमताएं हैं। श्रीमती वर्मा अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं। श्रीमती वर्मा को बोर्ड और उसकी उप-समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसी बैठक शुल्क और वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड समय-समय पर अनुमोदित कर सकता है। बोर्ड का मानना है कि उनके निरंतर सहयोग से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के संबंध में विशेष संकल्प की सिफारिश की जाती है।

श्रीमती वर्मा को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या केएमपी या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 5 में निर्धारित संकल्प से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

****